न्यायपालिका का भारतीयकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमन्ना ने देश की कानूनी व्यवस्था के भारतीयकरण को समय की मांग बताया। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय वितिरण प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

प्रमुख बिंदु

- **भारतीयकृत न्यायपालिका:**
  - CJI के अनुसार, न्यायालयों को वादी-केंद्रित होने की आवश्यकता है, जबकि न्याय वितिरण का सरलीकरण प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये।
  - CJI ने कहा कि न्यायपालिका के भारतीयकरण का अर्थ है न्याय वितिरण प्रणाली का स्थानीयकरण।
- **भारत की सदियों पुरानी न्यायपालिका प्रणाली:**
  - भारत में दुनिया की सबसे पुरानी न्यायपालिका प्रणाली है, जो 5000 साल पुरानी है।
  - भारत के इतिहास में एक बहुत प्रभावी, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली रही है, लेकिन वर्तमान निर्णयों में अधिकांश उद्धरण पश्चिमी न्यायशास्त्र से लिये गए हैं।
  - न्याय प्रदान करने की भारत की अपनी प्राचीन प्रणाली को बहुत कम मान्यता दी जाती है।
- **संबंधित सिफारिशें:**
  - **मलीमथ समिति की रिपोर्ट:** भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System of India-CJS) में सुधारों पर मलीमथ समिति (वर्ष 2000) ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    - समिति ने सुझाव दिया कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में संहिता की एक अनुसूची तैयार की जाए ताकि अभियुक्त को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, साथ ही उन्हें कैसे लागू किया जाए और उन अधिकारों से वंचित होने पर किससे संपर्क किया जाए, इस संबंध में जानकारी मिल सके।
  - **विधि आयोग, 1958:** अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (The All India Judicial Services- AIJS) को पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
    - विधि आयोग की एक रिपोर्ट (वर्ष 1987) ने सिफारिश की थी कि भारत में 10.50 न्यायाधीशों (तत्कालीन) की तुलना में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिये।

न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिये की गई पहलें

- **न्यायिक अवसंरचना:**
  - कोर्ट हॉल की संख्या वर्ष 2014 के 15,818 से बढ़कर वर्ष 2021 में 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयाँ भी वर्ष 2014 में 10,211 से बढ़कर वर्ष 2021 में 17,815 हो गई हैं।
  - वर्तमान में 2,693 कोर्ट हॉल और 1,852 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।
  - न्यायपालिका के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
  - अदालतों में वकील हॉल, शौचालय, कंप्यूटर रूम भी बढ़ाए गए हैं।
- **ई-कोर्ट परियोजना और कम्प्यूटरीकृत न्यायालय:**
  - सरकार ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लागू कर रही है।
  - ट्रैफिक से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिये 12 शहरों में वर्चुअल कोर्ट स्थापित किये गए हैं।
  - कम्प्यूटरीकृत अदालतें भी वर्ष 2014 के 13,000 से बढ़कर वर्ष 2021 में 18,000 हो गई हैं।
  - कम्प्यूटरीकृत अदालतों और ई-कोर्ट में न्यायिक सेवा केंद्रों में भी वृद्धि हुई है; वादी अब 18,000 से अधिक मामलों की स्थिति जान सकते हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:**
  - लॉकडाउन के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई का मुख्य माध्यम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक साल की अवधि में 96,000 से अधिक मामलों की सुनवाई आभासी माध्यम से हुई है।
  - 3,240 कोर्ट परिसरों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था लागू की गई है।

- **AI आधारति** SUPACE पोर्टल:
    - मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायकि प्रणाली में एक आर्टफिशियिल इंटेलजिंस (AI) आधारति पोर्टल 'SUPACE' लॉन्च कयि, जसिका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी रसिर्च में सहायता करना है।
    - CJI रमन्ना ने एक ऐसी प्रणाली का उद्घाटन कयि जसिके तहत बॉम्बे और दलि्ली उच्च न्यायालय में आपराधकि अपीलों को SUPACE की मदद से हल कयि जाएगा।

संबंधति मुद्दे

- **लंबति मामले:**
    - उपर्युक्त उपायों की शुरुआत के बावजूद लंबति मामलों की संख्या बढ़ रही है।
    - अब तक न्यायपालकि में 4.5 करोड़ से अधकि मामले लंबति हैं।
    - अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 65,000 से अधकि मामले लंबति हैं और वभिन्नि उच्च न्यायालयों में लगभग 60 लाख मामले लंबति हैं।
    - यहाँ तक कि अगर कोई नया मामला दर्ज नहीं कयि जाता है तो भी मौजूदा रक्तियों और बैकलॉग को समाप्त करने में न्यायपालकि को लगभग 100 साल लगेंगे।
- **न्यायाधीशों की अनुपलब्धता:**
    - न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकनि यह संख्या वांछति स्तर तक नहीं है जैसा कि यूरोपीय देशों में है।
    - वर्तमान में भारत में प्रति मिलियिन जनसंख्या पर न्यायाधीशों का अनुपात केवल 19.78 हैं।
- **उच्च न्यायपालकि में महलिओं का बेहद कम प्रतनिधित्वि:**
    - सर्वोच्च न्यायालय के अस्तत्वि में आने के 39 साल बाद वर्ष 1989 में पहली बार महलि न्यायाधीश, जस्टसि फातमि बीवी नयुिक्त हुई थीं।
    - तब से अब तक सरि्फ 10 महलिएँ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनी हैं।
    - उच्च न्यायालयों में महलि न्यायाधीशों की संख्या केवल 11% है।
    - पाँच उच्च न्यायालयों (पटना, मेघालय, मणपिुर, त्रपिुरा और उत्तराखंड) में कसिी भी महलि ने न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कयि।
- **वदिेशी भाषा में लंबे नरि्णय:**
    - ग्रामीण इलाकों से आने वाले ववािदों में शामलि होने वाले पक्षों को आमतौर पर न्यायालय में बाहरी महसूस कराया जाता है।
    - अंग्रेज़ी में नरि्णय और दलीलें (ग्रामीणों के लयि एक वदिेशी भाषा) समझना उनके लयि काफी कठनि हो जाता है। उन्हें यह समझ नही आ पाता है कि याचकिाओं में क्या लखिा गया है और अपने अधकिारों के बारे में जागरूकता कैसे हासलि करें।
    - लंबे नरि्णयों ने नरि्णय के नहितिार्थ को समझना वादयिों और पक्षकारों के लयि और अधकि जटलि बना दयि है।
- **भारतीय न्यायपालकि का ब्रटिशि मूल:**
    - भारत की वर्तमान न्यायकि प्रणाली की उत्पत्ति का स्रोत एक प्रकार से न्यायपालकि की औपनवेिशकि प्रणाली में देखा जा सकता है जो कमोबेश स्वामी-सेवक के दृष्टकिोण से स्थापति की गई थी, न कि जनता के दृष्टकिोण से।
    - इसके अलावा न्यायालयों की कार्यप्रणाली और शैली भारत की जटलिताओं के साथ मेल नहीं खाती है।
    - औपनवेिशकि मूल के होने के कारण यह व्यवस्था, प्रथा और नयिम भारतीय आबादी की ज़रूरतों के लयि बलि्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं।

आगे की राह

- पंचायती राज संस्थाओं **की भूमकि:** पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना होगा और सभी छोटे-छोटे मामलों को पंचायती राज संस्थाओं को दी जानी चाहयि।
- **त्वरति सुधार:** जो भी सुधार हुए हैं, उनमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है।
    - न्यायाधीश उस समयसीमा को नरि्धारति करेंगे जसिके भीतर दलील समाप्त की जानी चाहयि।
- **अधविक्ताओं की भूमकि:** न्याय वतिरण प्रणाली में अधविक्ताओं से एक महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिाने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे अदालतों के अधकिारी होते हैं।
    - उन्हें यह सुनशि्चति करना चाहयि कि अनावश्यक स्थगन की मांग न की जाए ताकि न्याय वतिरण प्रणाली और प्राकृतकि न्याय के बुनयिादी सद्धिांतों से समझौता कयि बनि मामलों का जल्द-से-जल्द फैसला कयि जा सके।
- **ज़मीनी स्तर पर भारतीयकरण:** भारत जैसे देश के लयि एक मज़बूत न्यायकि प्रणाली हेतु ज़मीनी स्तर पर न्यायालयों में भारतीय/क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कयि जाना अधकि महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
    - न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है लेकनि अधकिांश न्यायाधीशों द्वारा इनका प्रयोग नहीं कयि जाता है।
    - कार्यवाही और नरि्णयों की जटलिताओं को दूर कयि जाना चाहयि तथा प्रक्रयि को यथासंभव सरल बनाया जाना चाहयि।
    - स्थानीय परस्थितियिों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कसि वशिेष प्रकार के मामले एक नशि्चति क्षेत्र से आ रहे हैं। ये सभी उपाय स्थानीय परस्थितियिों को उचति महत्त्व देंगे।
- **मध्यस्थता:** मध्यस्थता प्रक्रयित्मक देरी, सीपीसी और सीआरपीसी की जटलि प्रक्रयिओं से बचने तथा एक अपरविर्तनीय समाधान तक पहुँचने में मदद कर सकती है। यह एक कफियती तरीका भी है।
    - सीपीसी की धारा 89 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने चार प्रकार के ववािद समाधान तंत्रों की स्थापना की; आर्बट्रिेशन, सुलह, न्यायकि समझौता और मध्यस्थता।
    - मध्यस्थता एक बेहतर स्थति है क्योंकि यह न केवल लंबति मामलों को कम करती है बल्कि इसमें दोनों पक्षों की संतुष्टि भी शामलि होती है क्योंकि नरि्णय वे ही लेते हैं।
- **पतिृसत्तात्मक मानसकिता** को बदलना समय की मांग है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वालों के नामों की सफिारशि और अनुमोदन में पतिृसत्तात्मक मानसकिता को न आने दयि जाए एवं योग्य महलि वकीलों तथा ज़लिा न्यायाधीशों को पदोन्नति के ज़रयि अधकि

प्रतिनिधित्व दिया जाए।

- न्यायपालिका में कोई भी सुधार तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष

न्यायपालिका का भारतीयकरण समय की मांग है। न्याय के प्रभावी वितरण के लिये एक सुपरिचित भाषा में संक्षिप्त निर्णय समय पर देना आवश्यक है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/perspective-indianisation-of-judiciary